नीलामी विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि जिला अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में निष्प्रयोज्य टंकण मशीनें, डुप्लीकेटिंग मशीन एवं फोटो स्टेट मशीनों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 08–11–2016 के अपरान्त 3.00 बजे प्रभारी अधिकारी नजारत के विश्राम कक्ष में गठित समिति के समक्ष की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति उक्तानुसार यथासमय उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी से पूर्व निष्प्रयोज्य मशीनें जहां है जिस स्थिति में है मौके पर जाकर देखी जा सकती है तथा नीलामी की शर्ते भी नजारत अनुभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी केन्द्र,अल्मोड़ा की बेबसाइट almora.nic.in में देखी जा सकती हैं। नीलाम में भाग लेने हेतु जमानत के रूप में जमा की जानी वाली धनराशि एवं मशीनों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं0	विभाग का नाम	निष्प्रयोज्य मशीनों का विवरण	नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि जो नीलामी बोली बोलने से पूर्व एन.एस.सी / एफ.डी आर / बैंक ड्राफट के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारत,अल्मोड़ा के नाम बंधक देय हो को जमा की जानी है।	स्थान जहॉ पर मशीनें रखी गई है।
01	02	03	04	05
01	राजस्व विभाग	1–कुल टंकण मशीन– 30 2– डुप्लीकेटिंग मशीन–04 3–फोटो स्टेट मशीन– 02	1,.000 / –	प्रपत्र रक्षक अनुभाग,

प्रभारी अधिकारी,नाजरात ,
कृते जिलाधिकारी,अल्मोड़ा

कार्यालय जिलाधिकारी,अल्मोड़ा

संख्या–671 / नौ–03 / 16–17 / मु0ना0 / दिनांक अक्टुबर,26 2016

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अल्मोड़ा को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को almora.nic.in में सुलभ संदर्भ हेतु तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

2–जिला कार्यालय,तहसीलों के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

3–जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा को उक्त नीलामी सूचना संक्षेप में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाये जाने हेतु प्रेषित।

4–प्रभारी अधिकारी प्रपत्र रक्षक अनुभाग जिला कार्यालय को उनके पत्र संख्या 99 (1) / एफ0के0 / 16 दिनांक 17–10–16 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,नाजरात ,
कृते जिलाधिकारी,अल्मोड़ा

नीलामी की शर्ते

1:– कुल 30 टंकण मशीनों एवं 04 डुप्लीकेंटिंक मशानी तथा दो फोटो स्टेट निष्प्रयोज्य मशीनों की नीलामी दिनांक 08–11–2016 के अपरान्ह 3.00 बजे की तिथि निर्धारित की गयी है।

2:– सभी बोलीदाताओं को निष्प्रयोज्य मशीनों की बोली बोलने से पूर्व नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत के रूप में 1,000/– (एक हजार) की धनराशि नगद रूप से सदर नजारत अनुभाग ,अल्मोड़ा में जमा करना अनिवार्य है। उच्चतम् बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य बोलीकर्ताओं को नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियमानुसार जमानत धनराशि वापस की जायेगी।

3:– सर्वोच्च बोलीदाता के नाम बोली छूटने पर बोलीदाता को बोली का 1/4 भाग तत्काल मौके पर जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 3/4 भाग नीलामी की तिथि के एक सप्ताह अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा इसमें असफल रहने पर जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

4:– नीलामी की शर्तो के विषय में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति मे जिला अधिकारी, अल्मोड़ा का निर्णय अन्तिम होगा।

5:– यदि विचार में यह बात आ जाय की बोली बोलने वाले व्यक्तियों ने आपस में गिरोह बना लिया है और निष्प्रयोज्य मशीनों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी स्थगित करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा।

6:– निष्प्रयोज्य मशीनों की नीलामी तकनीकी अधिकारियों द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुसार प्रारम्भ की जायेगी।

7:– निष्प्रयोज्य मशीनें जिला कार्यालय के प्रपत्र रक्षक अनुभाग में हैं एवं जिस स्थिति में है कार्यदिवसो में दिनांक 08.11.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे तक मौके पर जाकर देखी जा सकती है

8:– बिना किसी कारण के नीलामी/बोली स्थगित करने एवं नीलामी स्वीकृत /अस्वीकृत किये जाने का पूर्ण अधिकारी जिला अधिकारी,अल्मोड़ा का होगा।

कार्यालय जिलाधिकारी,अल्मोड़ा

संख्या–671(2)/नौ–03/16–17/मु0ना0/दिनांक अक्टुबर,26,2016

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अल्मोड़ा को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को almora.nic.in में सुलभ संर्दभ हेतु तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

2–जिला कार्यालय,तहसीलों के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

3–जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा।

4–प्रभारी अधिकारी प्रपत्र रक्षक अनुभाग जिला कार्यालय को उनके पत्र संख्या 99 (1)/एफ0के0/16 दिनांक 17–10–16 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,नाजरात ,
कृते जिलाधिकारी,अल्मोड़ा